भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3795
उत्तर देने की तारीख 05 अप्रैल, 2023
बुधवार, 15 चैत्र, 1945 (शक)

पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के उपरांत सरकारी नौकरी के अवसर

3795 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) निजी क्षेत्र में प्रशिक्षण अवधि के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार पीएमकेवीवाई के चौथे चरण में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) देश के युवाओं को कौशल, पुन: कौशल और कौशलोन्नयन पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। वर्ष 2015 से 31.12.2022 तक प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, उम्मीदवारों को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। एसटीटी के अंतर्गत प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए, जबकि आरपीएल को नियोजन से संबद्ध नहीं किया गया, क्योंकि यह उम्मीदवारों के मौजूदा कौशल को मान्यता देता था। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, उम्मीदवारों के सार्वजनिक/निजी रोजगार का अलग-अलग रिकार्ड नहीं रखा गया है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, वर्ष 2015 से 31.12.2022 तक, 24.36 लाख प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। पीएमकेवीवाई 4.0 विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग के लिए तैयार, भविष्य के लिए तैयार और आधुनिक कौशल प्रदान करके उम्मीदवारों की नियोजनीयता क्षमता बढ़ाने पर जोर देता है। यह स्कीम आधुनिक युग और उभरते हुए पाठ्यक्रमों अर्थात ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), 3डी प्रिंटिंग, ब्लॉक चेन, मेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स आदि पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

अनुबंध

दिनांक 05.04.2023 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3795 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2015 से दिनांक 31.12.2022 तक प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त-वर्ष 15-16	वित्त-वर्ष 16-17	वित्त-वर्ष 17-18	वित्त-वर्ष 18-19	वित्त-वर्ष 19-20	वित्त-वर्ष 20-21	वित्त-वर्ष 21-22	वित्त-वर्ष 22-23
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	194	-	-	74	1,259	1,464	613	310
2	आंध्र प्रदेश	114,531	32,004	57,484	62,475	105,667	66,404	13,199	5,798
3	अरुणाचल प्रदेश	789	228	1,022	4,545	15,700	51,991	8,884	667
4	असम	27,867	10,797	37,582	49,854	198,896	362,506	24,517	8,721
5	बिहार	75,036	34,573	90,988	84,574	191,902	96,288	47,643	12,213
6	चंडीगढ़	3,983	1,111	1,923	5,198	9,507	3,834	893	491
7	छत्तीसगढ	28,090	9,375	22,990	42,360	46,548	16,151	9,495	4,356
8	दिल्ली	60,657	50,556	86,321	81,488	146,205	55,121	19,965	2,262
9	गोवा	499	180	846	1,751	4,300	1,709	604	176
10	गुजरात	37,821	12,769	31,661	83,956	155,195	48,489	35,001	6,503
11	हरियाणा	68,744	26,563	183,565	115,364	175,386	54,719	18,191	8,963
12	हिमाचल प्रदेश	18,702	4,619	16,627	32,048	48,870	15,612	8,724	3,539
13	जम्मू और कश्मीर	13,251	7,542	44,752	35,455	122,659	58,927	21,339	7,352
14	झारखंड	21,486	10,213	30,939	36,487	120,103	15,452	34,233	5,302
15	कर्नाटक	61,515	25,249	70,487	110,111	165,247	53,066	23,153	8,410
16	केरल	13,426	13,866	63,068	35,973	78,523	31,077	12,968	5,673
17	लद्दाख	75	-	-	149	1,937	181	731	246
18	लक्षद्वीप	-	-	-	-	60	90	120	-
19	मध्य प्रदेश	127,138	51,857	187,711	154,478	223,483	95,403	46,659	21,345
20	महाराष्ट्र	83,252	33,163	95,390	165,352	637,002	148,352	39,864	14,913
21	मणिपुर	1,153	8,856	4,876	4,430	28,962	34,540	6,424	1,146
22	मेघालय	1,574	405	4,440	7,117	11,999	17,769	3,406	1,245
23	मिजोरम	1,012	18	-	3,062	10,837	11,433	4,742	1,162
24	नगालैंड	853	599	1,718	1,422	17,364	14,399	4,184	1,803
25	ओडिशा	50,026	15,742	65,799	89,011	239,050	68,828	12,645	12,116
26	पुदुचेरी	6,032	1,869	3,385	6,317	7,172	3,241	1,622	689
27	पंजाब	59,133	29,183	102,251	63,732	97,681	57,054	18,539	7,568
28	राजस्थान	98,215	52,649	211,916	138,923	446,900	97,822	38,511	9,232
29	सिक्किम	739	147	525	1,932	5,123	3,634	1,322	381
30	तमिलनाडु	140,990	68,946	131,710	123,422	185,108	72,404	29,057	8,029
31	तेलंगाना	90,978	20,817	89,922	57,648	108,145	33,999	13,107	8,040
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	349	139	426	3,377	5,338	222	252	31
33	त्रिपुरा	13,490	2,240	13,290	7,549	50,388	46,676	4,490	1,608
34	उत्तर प्रदेश	213,611	88,335	351,613	303,099	656,829	239,286	69,015	25,568
35	उत्तराखंड	12,126	5,191	27,597	46,864	68,250	29,412	10,522	2,942
36	पश्चिम बंगाल	104,549	35,768	90,280	80,609	177,880	53,221	31,406	12,340
